

**न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला****भिण्ड (म0प्र0)****आपराधिक प्रक0क्र0-443/12****संस्थित दिनांक-28.06.12**

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. राजकुमार पुत्र रामस्वरूप ओझा उम्र 30 साल
2. रामस्वरूप पुत्र लालाराम ओझा उम्र 65 साल  
निवासीगण एण्डोरी हाल गौतम नगर गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्तगण

**--:: निर्णय ::--****{आज दिनांक 30.08.2017 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर आयुध अधिनियम 1959 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 04.08.12 को 16:20 बजे या उसके लगभग गौतम नगर गोहद रोड स्थित अपने मकान के सामने अंतर्गत गोहद चौराहा क्षेत्र बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक कट्टा अधबना जिसकी नाल की लंबाई 5-1/2 इंच तथा पूरे कट्टे की लंबाई 10 इंच तथा दो राउण्ड जिंदा एक 315 बोर का, एक बारह बोर का अपने-अपने आधिपत्य में रखा।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 08.04.2012 को थाना प्रभारी गोहद चौराहा महेशचंद को जर्गे मुखबिर सूचना मिली कि गौतम नगर में अभियुक्तगण अपनी लोहे की दुकान पर अवैध कट्टा बनाने का कार्य कर रहे हैं। उक्त सूचना को रोजनामचा सान्हा क्र0 293 पर अंकित कर तस्दीक हेतु मय पुलिस फोर्स मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे और बगल के मकान से छिपकर देखा तो अभियुक्तगण देशी कट्टा बनाने की मशीन व औजारों से कार्य कर रहे थे। अभियुक्तगण को घेरा डालकर पकड़ा, उनका नाम पता पूछकर कट्टा कारतूस बनाने का लायसेंस चाहे जाने पर लायसेंस न होना बताया। तब अभियुक्त राजकुमार के कब्जे से एक देशी कट्टा व कट्टा बनाने का सामान तथा अभियुक्त रामस्वरूप के कब्जे से एक अधबना कट्टा एवं एक पंखा तथा कट्टा बनाने का सामान जब्त किया गया, जब्ती पत्रक तैयार किए, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए, अभियुक्त मय सामान के थाने पर लाकर अपराध क्रमांक 53/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान

अनुसंधान कथन लेखबद्ध किए गए, कट्टा व कारतूस की जांच कराई गयी, अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति ली गयी। तत्पश्चात् अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाये जाने का कथन करते हुए यह भी कथन किया कि वे लोहार जाति के हैं, पुलिस थाना गोहद चौराहा ने जबरदस्ती झूठा कैस पंजीबद्ध किया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्तगण दिनांक 04.08.12 को 16:20 बजे या उसके लगभग गौतम नगर गोहद रोड स्थित अपने मकान के सामने अंतर्गत गोहद चौराहा क्षेत्र बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक कट्टा अधबना जिसकी नाल की लंबाई 5-1/2 इंच तथा पूरे कट्टे की लंबाई 10 इंच तथा दो राउण्ड जिंदा एक 315 बोर का, एक बारह बोर का अपने-अपने आधिपत्य में रखा ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में भगवती प्रसाद शर्मा अ०सा० 1, सुरेश दुबे अ०सा० 2, सुभाष पाण्डे अ०सा० 3, ब्रजराजसिंह अ०सा० 4, महेश शर्मा अ०सा० 5, राजू शाक्य अ०सा० 6 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में हाकिम ब०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है।

6. जब्तीकर्ता अधिकारी महेश शर्मा अ०सा० 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 08.04.12 को थाना गोहद चौराहा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को मुखबिर की सूचना पर मय फोर्स के गौतम नगर गोहद चौराहा पर आरोपी की दुकान पर गए थे जहां अभियुक्त के घर पर अवैध आयुध कट्टा बनाने का सामान बेल्टिंग मशीन डिल मशीन, अधबनी नाल, लोहे का सामान, स्प्रिंग, एक कट्टा लोहे का अधबना, दो राउण्ड जिंदा एक 315 व एक 12 बोर का कारतूस मुताबिक जब्ती पत्रक राजकुमार ओझा से जब्तकर जब्ती पत्रक प्रपी० 1 बनाया था। उसी दिनांक को साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त रामस्वरूप ओझा से एक कट्टा अधबना व लोहे का पंखा जब्त किया था। साक्षी जब्ती पत्रक क्रमशः प्र०पी० 1 व 2 बताकर उन पर अपने सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण की गिर० कर गिर० पत्रक प्रपी० 3 व 4 बनाए जाने व उन पर भी सी से सी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अभियुक्तगण को थाने लाकर रोजनामचा सान्हा में वापसी दर्ज करने का कथन करते हुए प्र०पी० 7 के रूप में उसे प्रदर्शित कराते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरुद्ध प्राथमिकी प्र०पी० 8 लेखबद्ध किए जाने और उस पर ए से ए हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में प्र0पी0 1 व 2 के साक्षी क्रमशः भगवती प्रसाद अ0सा0 1 एवं प्र0आर0 गजराज सिंह अ0सा0 4 हैं। साक्षी भगवती प्रसाद अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार करते हैं और उनके समक्ष कोई भी कार्यवाही होने से इंकार करते हैं। यद्यपि प्र0पी0 1 व 2 के जब्ती पत्रक तथा प्र0पी0 3 व 4 के गिर0 पत्रक पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार करते हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिनमें साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके समक्ष अभियुक्तगण से अभिकथित आग्नेय आयुध व उसके विनिर्माण की सामग्री को जब्त किया गया था। साक्षी प्रतिपरीक्षण में पुलिस द्वारा उसके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लेने का कथन करता है। प्र0आर0 ब्रजराजसिंह अ0सा0 4 जब्तीकर्ता अधिकारी के कथन का समर्थन करते हुए दिनांक 08.04.12 को 3:45 बजे मुखबिर की सूचना से थाना प्रभारी महेश शर्मा द्वारा अवगत कराए जाने, तत्पश्चात् शासकीय गाडी से गौतम नगर में अभियुक्त की दुकान में पहुंचने और थोड़ी दूर गाडी खडी करके पैदल जाकर मकान घेर लेने का कथन करते हैं। साक्षी अभियुक्तगण के आधिपत्य से आग्नेय आयुध व उनको बनाने का सामान जब्त होने के तथ्य का समर्थन करते हैं। जब्ती पत्रक प्रपी0 1 व 2 तथा गिर0 पंचनामा प्रपी0 3 व 4 में क्रमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर किए जाने का तथ्य प्रमाणित करते हैं।

8. प्रकरण में महेश शर्मा अ0सा0 5 ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण से जब्तशुदा आग्नेय आयुध व उनके विनिर्माण की सामग्री के प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें क्रमशः आर्टिकल ए 1 लगायत ए 24 के रूप में प्रमाणित किया है। प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से सर्वप्रथम यह तर्क बचाव में प्रस्तुत किया है कि पुलिस साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा अभियुक्तगण से अभिकथित आग्नेय आयुध की जब्ती का समर्थन नहीं किया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि ऐसी दशा में अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं हैं। इस संबंध में उनकी ओर से न्यायदृष्टांत रामनरेश विरुद्ध म0प्र0 शासन 1987-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 नोट 69 के संबंध में आस्था व्यक्त कर यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उक्त मामले में अभियोजन द्वारा जनता के किसी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण से अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया था। साथ ही न्यायदृष्टांत मु0 लक्ष्मीबाई विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1988-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 नोट 137 के संबंध में आस्था व्यक्त कर यह तर्क प्रस्तुत किया है कि किसी पंच साक्षी द्वारा पुलिस साक्ष्य का समर्थन नहीं किए जाने पर पुलिस साक्षी के कथन पर दण्डादेश आधारित नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं आस्थागन न्यायदृष्टांत से यह दर्शित है कि रामनरेश "उपरोक्त" के न्यायदृष्टांत में सार्वजनिक स्थल पर जब्ती की दशा में किसी स्वतंत्र साक्षी को कार्यवाही का भाग न बनाया जाना अभियोजन के लिए घातक माना था जबकि इस मामले में प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी भगवतीप्रसाद अ0सा0 1 है ऐसे में उपरोक्त न्यायदृष्टांत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्नता के कारण अभियुक्तगण को कोई लाभ प्रदान नहीं करता।

9. न्यायदृष्टांत-लक्ष्मीबाई "उपरोक्त मामले" में एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 के अधीन मामले में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा मामले का कोई भी समर्थन न किए जाने पर उक्त मामले में अपील स्वीकार की थी। किन्तु इस मामले में स्वतंत्र जब्ती कार्यवाही साक्षी भगवती प्रसाद अ0सा0 1 ने प्र0पी0 1 लगायत 4 पर ए से ए भागों पर अपने हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है किन्तु उसके हस्ताक्षर पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी दबाव में कराए हो अथवा अभिकथित रूप से हस्ताक्षर कराए जाने के संबंध में उसने किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को कोई शिकायत की हो, ऐसा भी अभिलेख पर नहीं है। साक्षी के कथन से ऐसा दर्शित होता है कि वह सत्य कथन करने के इच्छुक नहीं रहा इस कारण से अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषितकर धारा 161 दफ़्तार के पूर्व कथन के संबंध में विरोधाभास अभिलेख पर लाने का प्रयास किया गया। ऐसे में मात्र जब्ती साक्षी के द्वारा समर्थन न किए जाने से संपूर्ण अभियोजन के मामले एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को संदिग्ध नहीं ठहराया जा सकता है। हाल ही में मान0 म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत घनश्याम लक्ष्मीनारायण पाटीदार व अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2016 किमनल लॉ जनरल 4937 में प्रतिपादित सिद्धांत उल्लेखनीय है। उक्त मामले में मान0 उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत यह है कि पुलिस अधिकारी की अभिसाक्ष्य पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, जबकि न्यायालय का यह मत हो कि साक्षी सत्यवादी एवं विश्वसनीय है। इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा मान0 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत लूपचंद नारुजी जाट व अन्य विरुद्ध गुजरात राज्य (2004) 7 एस0सी0सी0 566, अब्दुल मजीद अब्दुल हक अंसारी विरुद्ध गुजरात राज्य (2003) 10 एस0सी0सी0 198 तथा पी0पी0 वीरन विरुद्ध केरल राज्य (2001) 9 एस0सी0सी0 57 पर आस्था व्यक्त की है।

10. इस मामले में महेश शर्मा अ0सा0 5 ने यह कथन किया है कि वे मुखबिर की सूचना पर गौतम नगर स्थित अभियुक्त की दुकान पर गए थे और कण्डिका 3 में स्वीकार किया है कि उक्त रोड पर लोगो का काफी आवागमन रहता है। साक्षी भगवती प्रसाद मौके पर घटना के समय पहुंच जाने के संबंध में तथ्य बताया है, इस प्रकार से भगवती प्रसाद का घटनास्थल पर उपस्थित होना चांस वितनेस के रूप में बताया गया है। साक्षी के द्वारा अभिकथित मुखबिर की सूचना के संबंध में प्राथमिकी प्र0पी0 8 में रोजनामचा सान्हा की प्रविष्टि को अंकित किया गया है तथा वापसी रोजनामचा प्रपी0 7 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रोजनामचा की कार्यवाही को अभियुक्तगण की ओर से चुनौती नहीं दी गयी है, बल्कि जब्ती साक्षी प्र0आर0 ब्रजराज से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वयं अभियुक्तगण की ओर से सुझाव दिया गया कि रोजनामचा में प्रविष्टि करने के बाद थाने से रवाना हुए थे। ऐसी दशा में अभिकथित रूप से पुलिस कार्यवाही भलीभांति समर्थित एवं संदिग्ध परिस्थितियों से परे दर्शित हो रही है। जब्ती पत्रक प्र0पी0 1 व 2 में थाने की नमूना सील अंकित की गयी है। ऐसी दशा में उपरोक्त पुलिस साक्षियों महेश शर्मा अ0सा0 5 एवं प्र0आर0 ब्रजराज अ0सा0 4 की असंदिग्ध साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार प्रकट नहीं हो रहा है। न्यायनिर्णय-



राजाखिरना विरुद्ध स्वराष्ट्र राज्य ए आई आर 1954 एस सी पेज 217 में अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य: न्यायालय यही उपधारणा करेगी कि पुलिस द्वारा जो कार्य किया गया है वह सही रूप से किया गया है। पुलिस अधिकारी के द्वारा किये गये कार्य को अविश्वास की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। न्यायदृष्टात- मदन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य ए आई आर 1978 एस सी 1511, अनिल एलेसिस अन्टाय सदाशिव नन्दोस्कर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एआई आर 1996 एस सी 2943 तथा ताहिर बनाम स्टेट आफ दिल्ली ए आई आर 1996 एस सी 3079 में यह सिद्धांत परिपादित किया कि मात्रपुलिस अधिकारी होने के कारण उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है यह साबित होना चाहिए कि क्यो झूठा मामला बनाया जाएगा यदि पुलिस अधिकारी के कथनो का समर्थन स्वतंत्र गवाहो ने किया तो फिर भी पुलिस अधिकारी का कथन यदि विश्वसनीय है तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर भी सजा दी जा सकती है।

11. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लिया गया है कि अभियुक्तगण ट्राली रिपेयरिंग का काम करते हैं और अभियुक्तगण से थाना प्रभारी द्वारा थाने का गेट बिना पैसों के बनाने के लिए कहा था और उन्होंने गेट नहीं बनाया इस कारण से अभियुक्तगण को असत्य अपराध में लिप्त कर दिया है। अभियुक्तगण की ओर से इस तथ्य को प्रमाणित किए जाने के संबंध में हाकिम ब0सा0 1 को परीक्षित कराया गया जो अभियुक्तगण की दुकान में मजदूरी कार्य करता था। अपने अभिसाक्ष्य में यह बताता है कि थाना गोहद चौराहे से पाण्डे थानेदार एवं ब्रजराजसिंह दीवान दुकान पर आए थे और अभियुक्तगण से थाने का गेट और जाली बनाने को कहा था, इसके बाद अभियुक्त राजकुमार गेट व जाली का नाप लेने गया तथा पैसेजमा करने को कहा तो उन्होंने पैसे जमा करने से मना कर दिया और झूठे कैस में फंसा देने की बात कहीं। इसके एक महीने बाद दरोगाजी पूरा फोर्स लेकर आए और अभियुक्तगण की दुकान से संपूर्ण सामान जब्त कर लिया और थाने ले गए। साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह बताता है कि दरोगाजी और राजकुमार की थाने पर बात उसके सामने नहीं हुई। साक्षी यह बताता है कि चैत के महीने में आरोपीगण को पकड़ ले गए थे और उक्त समय पाण्डे थानेदार व ब्रजराज आए थे बाद में पूरा फोर्स आया था। इस प्रकार से स्वयं उसके अभिसाक्ष्य से हिन्दू माह चैत जो कि अंग्रेजी माह अप्रैल होता है उससे घटना दिनांक 08.04.12 की पुलिस कार्यवाही का समर्थन होता है। जहां तक झूठे मामले में फंसा देने के संबंध में तथ्य की बात है तो अभियुक्तगण या उक्त साक्षी द्वारा कहीं कोई शिकायत वरिष्ठ अधिकारी को अथवा कोई परिवाद प्रस्तुत किया हो, ऐसा अभिलेख पर नहीं है। हाकिम ब0सा0 1 प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करता है कि उसने ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की। अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 10.01.17 को जब्तीकर्ता अधिकारी महेश शर्मा की साक्ष्य के पूर्व ऐसा कोई बचाव भी नहीं लिया गया कि अभियुक्तगण पर पुलिस द्वारा बिना राशि दिए थाने का गेट व जाली बनवाने की कोई धमकी दी हो। ऐसी दशा में अभियुक्तगण का बचाव सारहीन पाया जाता है।

12. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब्तीकर्ता व अनुसंधानकर्ता एक ही व्यक्ति है इस कारण से अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जब्तीकर्ता अधिकारी महेश शर्मा अ0सा0 5 हैं जबकि अनुसंधानकर्ता सुभाष पाण्डे सहायक उपनिरीक्षक अ0सा0 3 हैं। यद्यपि जब्तीकर्ता महेश शर्मा अ0सा0 5 प्रकरण में प्राथमिकीकर्ता भी है किन्तु जब्तीकर्ता अधिकारी प्राथमिकीकर्ता नहीं हो सकता ऐसा साक्ष्य का कोई नियम नहीं है। इस संबंध में न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत स्टेट विरुद्ध जयपाल 2004 एआईआर एस0सी0डब्ल्यू 1762 में यह अभिनिर्धारित किया कि यदि संज्ञेय अपराध का अनुसंधान वह अधिकारी करने में सक्षम हैं जो किसी सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखता है और अपराध पंजीबद्ध करता है, वह अधिकारी अंतिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर सकता है। अभियुक्त के हितों पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, इससे स्वतः ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्रकार से ऐसी कोई विधि नहीं है कि जब्तीकर्ता अधिकारी यदि अपराध का अनवेषण करने में समर्थ हो तो वह अन्वेषण नहीं कर सकेगा। अभियुक्त के विरुद्ध जब्तीकर्ता अधिकारी द्वारा असत्य कार्यवाही किए जाने का एवं अभियुक्त के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। इस संबंध में भी अभियुक्तगण का तर्क सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है, न ही अभियुक्तगण को कोई लाभ प्रदान करता है।

13. इस प्रकार से प्रकरण में जब्तीकर्ता के साक्ष्य में ऐसी कोई भी विसंगति या परिस्थिति उल्लेखित नहीं हुई जिससे कि अभियुक्त के विरुद्ध जब्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा असत्य कार्यवाही किए जाने व साक्षियों द्वारा असत्य रूप से समर्थन किए जाने का युक्तियुक्त आधार हो। अर्थात् अभियुक्त को मिथ्या रूप से लिप्त करने का कोई आधार नहीं पाया गया है। प्रकरण में साक्षी सुरेश दुबे अ0सा0 2 आरमोरर है जो जब्तशुदा 315 बोर के दो कट्टा एवं 315 बोर के एक कारतूस तथा 12 बोर के अन्य कारतूस की जांच कर्ता हैं। उक्त साक्षी एक 315 बोर का कट्टा फायर योग्य होने तथा दूसरे 315 बोर के कट्टे में मैन स्प्रिंग न होने से कट्टे का फायर योग्य न होने का तथ्य बताते हैं। दोनों कारतूसों को फायर योग्य होने का कथन करते हुए अपनी जांच रिपोर्ट प्र0पी0 6 बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में यद्यपि एक आग्नेय आयुध अनुपयोगी होने का तथ्य आरमोरर द्वारा स्वीकार किया गया है किन्तु अभियुक्तगण की ओर से स्पष्ट नहीं कराया गया कि उक्त आग्नेय आयुध कौनसा है। ऐसी दशा में वे उक्त संबंध में बचाव के हकदार नहीं हैं। राजू शाक्य अ0सा0 6 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधिवत अभियोजन स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में सारवान कथन करते हैं। अभियोजन स्वीकृति प्र0पी0 9 बताकर ए से ए भाग पर जिला दण्डाधिकारी व बी से बी भाग पर अपने लघु हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षर के संबंध में इस साक्षी का अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 47 के अधीन पूर्णतः सुसंगत एवं समर्थनकारी है।

14. इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण दिनांक 04.08.12 को 16:20 बजे या उसके लगभग गौतम नगर गोहद रोड स्थित अपने मकान के सामने अंतर्गत गोहद चौराहा क्षेत्र बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से एक कट्टा अधबना जिसकी नाल की लंबाई 5-1/2 इंच तथा पूरे कट्टे की लंबाई 10 इंच तथा दो राउण्ड जिंदा एक 315 बोर का, एक बारह बोर का अपने-अपने आधिपत्य में रखा। अतः अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 25 (1-बी) ए के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है।

15 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

16. अभियुक्तगण का कृत्य स्वेच्छा पूर्वक अपने ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के आधार पर दोषी पाया गया है, ऐसे में उन्हें परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही/-

ए0के0 गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

**पुनश्च:**

17. अभियुक्तगण एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के पिता व पुत्र होने के आधार पर एवं उसके अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि को देखते हुए उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

18. अभियुक्तगण यद्यपि अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार पिता व पुत्र है, किन्तु उसके द्वारा ज्ञानयुक्त आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के अपराध कारित करने के आशय से आग्नेय आयुध संधारित किए जाने के संबंध में आरोप तथा इसके अतिरिक्त अवैध हथियार निर्माण की सामग्री रखने का अपराध प्रमाणित पाया गया है। यद्यपि अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर तथ्य नहीं हैं किन्तु चंबल क्षेत्र में अवैध हथियारों से अपराधों को कारित किए जाने की प्रवृत्ति तीव्रता से बढ़ रही है जिसे हतोत्साहित किए जाने का प्रयास प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है ऐसे में अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 25-(1बी) (ए) के अधीन न्यूनतम उपबंधित सजा **एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को **एक-एक माह का सश्रम कारावास** भुगताया जावे।

19. अभियुक्तगण से जब्तशुदा आग्नेय आयुध एवं अन्य सामग्री अपील अवधि पश्चात् विधिवत निराकरण हेतु जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित किया जावे। अपील की दशा में मान0 अपील न्यायाल के आदेश का अक्षरशः पालन हो।

20. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि के संबंध में दफ़्तर की धारा 428 का प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से संलग्न किया जावे। अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि यदि कोई रही हो तो वह दी गयी सजा में समायोजित की जावे।

21. निर्णय की एक-एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश